

**झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।**

प्रेषक:- अवधेश कुमार जायसवाल,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, जमशेदपुर।
सभी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई सहित
(मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची को छोड़कर),
अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जमशेदपुर।
निदेशक भू-गर्भ, जल निदेशालय, राँची।
सभी पुनर्वास पदाधिकारी, (मध्यम सिंचाई परियोजना, राँची को छोड़कर)
सभी विशेष-भू-अर्जन पदाधिकारी
अभियंता प्रमुख I/II / उप सचिव (प्र.) /
उप सचिव (अभि.) / अवर सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी,
सभी प्रशाखा (प्र. 06, 07, को छोड़कर)
जल संसाधन विभाग।

राँची, दिनांक:-

विषय:- बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के आलोक में झारखण्ड एवं बिहार राज्यों
के बीच लंबित मामलों के संबंध में। (छायाप्रति संलग्न)
प्रसंग:- विभागीय ज्ञापांक 3601 दिनांक 26.10.18 एवं विभागीय मुख्यालय हेतु गै.
स. प्रे. स. 3873 दिनांक 26.11.18 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का स्मरण किया जाय। सदर्भित
विषय से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन हेतु योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग) द्वारा स्मार प्राप्त हो रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

अनु. - यथावत

विश्वासभाजन,

ह0/-

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 268

/राँची, दिनांक:- 18/01/19

प्रतिलिपि:- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु. - यथावत

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

दिनांक

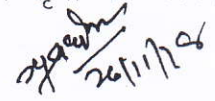
पीत पत्र के बदले में।

गै. स. प्रे. सं.-05/विविध-14-39/2018:- 3823

राँची दिनांक:- 26/11/18

अभियंता प्रमुख I/II,
उप सचिव (प्र.)/उप सचिव (अभि.)/
अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी/सभी प्रशाखा,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची से प्राप्त गै. स. प्रे. सं.-1153
दिनांक 22.10.18 के आलोक में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के झारखण्ड एवं बिहार राज्यों
के बीच लंबित मामलों संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

08

मुख्य सचिव कार्यालय
(चर्या टिप्पणी)

गै०सं०प्रे० संख्या 1153 / मु०सं०का०

दिनांक 22/10/18

प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची।

All Additional Chief Secretaries
All Principal Secretaries
All Secretaries

We are in the process of compiling the list of all pending issues (with up-to-date status) between Jharkhand and Bihar arising out of the Bihar Reorganization Act, 2000.

You are requested to kindly send a brief relating to your department in the matter by 31st October 2018 to Additional Chief Secretary, Planning-cum-Finance, Jharkhand with a copy to me as well.

Sudhir Tripathi
(Sudhir Tripathi)
Chief Secretary

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

दिनांक 26-10-18

आपांक 3601

प्रतिनिधि :- प्रशासक सुकर्मरेखा बहुउद्देशीय परियोजना जमशेदपुर / सभी प्रमुख अधिकारी (लघु सिंचाई सहित) जल संसाधन विभाग / आपर निदेशक क- कर्मण एवं पुनर्वास जमशेदपुर / निदेशक क जल विकास राज्य राँची / सभी पुनर्वास पदा 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 एवं 12 को सुचालनी एवं आवश्यक कार्यावी प्रेषित। आशुष है कि वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराएँ।

26/10/18
सरकार के अवसरधित

आपांक - 3601

प्रतिनिधि :- वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग राँची को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यावी प्रेषित।

दिनांक - 26/10/18

सरकार के अवसरधित